



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 19.02.2024

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा नकबजनी की चार घटनाओं का अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को चोरी किये गये सामान व चोरी की घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल/ई-रिक्शा आदि सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.12.2023 को वादी श्री सलीम अहमद पुत्र नसीम अहमद निवासी मौ0 शाहचन्दन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 01/02.12.2023 की रात्रि में अज्ञात चोरों ने वादी की चाय की दुकान से पीछे की दीवार तोड़कर दो बैटरे, एक इन्वर्टर, तीन सोलर पैनल, तीन सिलेण्डर, नगदी एवं परचून का सामान चोरी कर लिया। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 880/23 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।



दिनांक 17.12.2023 को वादी श्री सरफराज पुत्र हसीनुद्दीन निवासी ग्राम मसीत थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 14.12.2023 की रात्रि में किसी अज्ञात चोर द्वारा वादी की धनौरा रोड स्थित डेंटिंग/पेंटिंग की दुकान की दीवार तोड़कर कार की बैट्रियां, जनरेटर व सोलर प्लेट आदि सामान चोरी कर लिया है। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 901/23 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 13.02.2024 को वादी श्री मजहरुद्दीन पुत्र श्री अमीनुद्दीन निवासी मौ0 सराय रफी कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 12.02.2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा वादी की धनौरा रोड स्थित दुकान से ट्रक के हब, रिम, कमानी, स्टेयरिंग बॉक्स, ब्रेक, लिफ्ट आदि सामान चोरी कर लिया है। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 80/24 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 18.02.2024 को वादी श्री राहुल अग्रवाल पुत्र श्री राजेश्वर प्रसाद मौ0 कोटला कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के शुगर मिल स्थित रस्सी बान के गोदाम से ताले तोड़कर रस्सी, तिरपाल व अन्य सामान चोरी कर लिया है। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 85/24 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व नकबजनी/चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी गये माल की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी, चांदपुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.नदीम उर्फ नईम पुत्र ताहिर 2.ताहिर पुत्र मौ0 साबिर निवासीगण मौ0 अलीपुरा कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा 3.राजपाल पुत्र मानसिंह निवासी मौ0 गंगानगर मानपुर फाटक के पास कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से नकबजनी में प्रयुक्त औजार (दो हथौड़े, एक प्लास, दो छैनी, सुम्मी, पेचकस, आरी का ब्लेड, पाईप रिंच आदि) व एक मोटर साईकिल ग्लैमर (रंग लाल/काला), दो बड़े बैट्रे, एक इन्वर्टर EXIDE, दो सिलेण्डर HP कम्पनी, दो सोलर पैनल बड़ी प्लेट, एक तिरपाल का बण्डल, दो सफेद प्लास्टिक की रस्सी के बण्डल, चार बैट्री छोटी, एक सौर ऊर्जा की प्लेट, एक जनरेटर मय ट्राली, लोहे के ट्रक के पार्ट (01 रिम, 05 हब, 10 कड़ा कन्नी, एक कड़ा पीनियन कडा, 11 नक्के, ट्रक की लिफ्ट का बूस्टर, दो शोकर की अकरी, दो शिकन्जे, दो टाई रॉड की गोली, 02 चम्स झिरी, तीन हस स्चैन्डिल, एक लिफ्ट प्लेट, दो कमानी, दो कमानी के छोटे टुकड़े तथा एक प्रेशर प्लेट ट्रक जनरेटर आदि बरामद किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर अभियोगों में सुसंगत धाराओं की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया गया कि हम तीनो मिलकर दुकान व गोदाम से ताला तोडकर व कूमल करके चोरी करते है तथा मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट बदलकर व रिकशा में भरकर राजपाल के कबाडे की दुकान पर कम पैसो मे बेच देते है जिससे हमे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.नदीम उर्फ नईम पुत्र ताहिर निवासी मौ0 अलीपुरा कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा
- 2.ताहिर पुत्र मौ0 साबिर निवासी मौ0 अलीपुरा कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा
- 3.राजपाल पुत्र मानसिंह निवासी मौ0 गंगानगर कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा

बरामदगी –

नकबजनी में प्रयुक्त औजार (दो हथौड़े, दो छैनी, प्लास, सुम्मी, पेचकस, आरी का ब्लेड, पाईप रिंच आदि) एक मोटर साईकिल ग्लैमर (रंग लाल/काला)

दो बड़े बैट्रे, एक इन्वर्टर EXIDE, दो सिलेण्डर HP कम्पनी, दो सोलर पैनल बड़ी प्लेट, एक तिरपाल का बण्डल, दो सफेद प्लास्टिक की रस्सी के बण्डल, चार बैट्री छोटी, एक सौर ऊर्जा की प्लेट, एक जनरेटर मय ट्राली

लोहे के ट्रक के पार्ट (01 रिम, 05 हब, 10 कड़ा कन्नी, एक कड़ा पीनियन कडा, 11 नक्के, ट्रक की लिफ्ट, दो शोकर की अकरी, दो शिकन्जे, दो टाई राड की गोली, 02 चम्स झिरी, तीन हस स्चैन्डिल, एक लिफ्ट प्लेट, दो कमानी के बड़े पट्टे, दो बोल्ट में कमानी के छोटे टुकड़े, एक प्रेशर प्लेट ट्रक जनरेटर आदि)

एक ई-रिकशा

अभियुक्त नदीम का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 253/18 धारा 380/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 219/21 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 368/21 धारा 380/457/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 384/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 385/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 880/24 धारा 380/457/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 901/23 धारा 380/457/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0 80/24 धारा 380/457/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
9. मु0अ0सं0 85/24 धारा 380/457/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त ताहिर का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 880/24 धारा 380/457/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 901/23 धारा 380/457/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 80/24 धारा 380/457/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 85/24 धारा 380/457/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त राजपाल का अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 880/24 धारा 380/457/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 901/23 धारा 380/457/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 80/24 धारा 380/457/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 85/24 धारा 380/457/411/420 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह, थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री जुगेन्द्र तेवतिया, थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. हे0कां0 371 धर्मेन्द्र सिंह, थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4. कां0 विशाल चिकारा सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर
5. कां0 दीपक जावला सर्विलांस सेल जनपद बिजनौर
6. कां0 1627 मौ0 मोबीन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
7. कां0 1881 सचिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 19.02.2024

थाना चांदपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम ने 06 चोरो को चोरी किये गए बिजली के तार व परिवहन में प्रयुक्त पिकअप वाहन सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.01.2024 को वादी श्री नरोत्तम सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के बाग में रखे बिजली के तार चोरी होने के संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 44/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया । पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया ।



कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी/लूट आदि की घटनाओं पर अंकुश लगाने व इनमें संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चांदपुर के निकट पर्यवेक्षण में स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1.अर्पण पुत्र मोहर सिंह, 2.बन्टी पुत्र राजेश सैनी निवासीगण ग्राम कमेलपुर थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा 3.बब्लू पुत्र अमर सिंह, 4.सुखविन्दर पुत्र सुरेश निवासीगण ग्राम कलाली थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा, 5.चन्द्रशेखर पुत्र मलखान निवासी ग्राम सानीपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर व 6.रविन्द्र उर्फ छोटू पुत्र शिवपाल सैनी निवासी ग्राम पहाडपुर खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 03 कुन्तल कन्डैक्टर एल्युमिनियम तार, 70 किलोग्राम ABC केबिल तार व लोहे के 02 बीक्रास 15 किलोग्राम सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 411/420 भादवि की वृद्धि की गई ।

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग बरामद हुई बुलेरो पिकअप को माल बुकिंग में प्रयोग करते हैं तथा रात्रि के समय पिकअप पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर जनपद में भिन्न-भिन्न जगहों से बिजली के तारो आदि की चोरी करते हैं तथा मौका पाकर इकट्ठा हुए सारे माल को अपनी पिकअप में लादकर सौरभ उर्फ राहुल पुत्र समरपाल चौहान निवासी ग्राम शेरगढ थाना हसनपुर जनपद अमरोहा जो कबाडी का काम करता है, को बेच देते हैं ।

हम सभी ने मिलकर दिनांक 24.01.2024 की रात्रि मे ग्राम सुल्तानपुर से बिजली का तार चोरी किया था, बरामद किया गया सारा माल उसी चोरी की घटना से संबंधित है। इसके अलावा हमारे द्वारा ग्राम झीरन व ग्राम बूढपुर (थाना नूरपुर) की ट्रांसफार्मर की मशीन तथा फतेहाबाद विधुत सब स्टेशन नूरपुर से तार चोरी कर सौरभ उपरोक्त को बेच दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1. अर्पण पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम कमेलपुर थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा।
2. बन्टी पुत्र राजेश सैनी निवासी ग्राम कमेलपुर थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा
3. बब्लू पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम कलाली थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा।
4. सुखविन्दर पुत्र सुरेश निवासी ग्राम कलाली थाना मण्डी धनौरा जनपद अमरोहा।
5. चन्द्रशेखर पुत्र मलखान निवासी ग्राम सानीपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
6. रविन्द्र उर्फ छोटू पुत्र शिवपाल सैनी निवासी ग्राम पहाडपुर खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण:-

03 कुन्तल कन्डैक्टर एल्युमिनियम तार, 70 किलोग्राम ABC केबिल व लोहे के 02 बीक्रास 15 किलोग्राम तथा परिवहन में प्रयुक्त बुलेरो पिकअप वाहन

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 44/2024 धारा 379/411/420 भादवि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0स0 474/23 धारा 379/411 भादवि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0स0 24/24 धारा 379/136/411 भादवि0 थाना नूरपुर बिजनौर।
4. मु0अ0स0 36/24 धारा 379/411 भादवि0 थाना नूरपुर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. उ0नि0 मुकेश कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. उ0नि0 श्री सौकत अली प्रभारी स्वाट मय टीम।
4. उ0नि0 श्री जयवीर प्रभारी सर्विलांस मय टीम।
5. का0 1843 सोनू नागिल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
6. का0 2044 अभिषेक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
7. का0 2567 संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
8. का0 2523 संदीप कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
9. का0 88 रजनीश थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 19.02.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 363/376(डी,ए) भादवि व 06 पॉक्सो अधिनियम से संबंधित 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व कुल 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

दिनांक 23.08.2022 को थाना नहतौर क्षेत्र के वादी द्वारा थाना नहतौर पर तहरीर देकर अभियुक्तगण 1- सोकेन्द्र पुत्र सुरेश सैनी निवासी ग्राम धर्मनगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2- ब्रजपाल पुत्र कलवा निवासी ग्राम चकगोवर्धन थाना नहतौर जनपद बिजनौर के विरुद्ध वादी की भतीजी को बहला फुसलाकर ले जाने व गलत काम करने के संबंध में थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 285/22 धारा 363/376(डी,ए) भादवि व 06 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत कराया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 19.02.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट द्वारा मु0अ0सं0 285/22 धारा 363/376(डी,ए) भादवि व 06 पॉक्सो अधिनियम के अभियुक्तों 1- सोकेन्द्र पुत्र सुरेश सैनी निवासी ग्राम धर्मनगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2- ब्रजपाल पुत्र कलवा निवासी चकगोवर्धन थाना नहतौर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व कुल 60,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

- 1- सोकेन्द्र पुत्र सुरेश सैनी निवासी ग्राम धर्मनगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2- ब्रजपाल पुत्र कलवा निवासी ग्राम चकगोवर्धन थाना नहतौर जनपद बिजनौर।

छात्रा के साथ ममेरे-फुफेरे भाइयों ने किया दुष्कर्म

नहटौर। कक्षा सात की छात्रा को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर ममेरे व फुफेरे दो भाइयों ने दुष्कर्म किया। पीड़ित बालिका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है। नहटौर थाना क्षेत्र के एक गांव की कक्षा सात की 14 वर्षीय छात्रा सोमवार की रात करीब नौ बजे गायब हो गई। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। गांव में पड़ोस के एक युवक के घूमने का पता लगने पर उसके पिता से पूछताछ की। जिसके बाद गांव की नहर के पास जंगल में होने का पता चला। जंगल में छात्रा बदहवास हालत में पड़ी हुई मिली। आरोप है कि युवक छात्रा को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और अपने ममेरे भाई के साथ छात्रा के साथ जंगल में दुष्कर्म किया और जंगल में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गांव चक गोवर्धन निवासी युवक बृजपाल सिंह व उसके मुमेरे भाई गांव धर्मनगरी बिजनौर के सकेन्द्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। संवाद

नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार

नहटौर। नाबालिग लड़की के साथ दो युवकों द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

नहटौर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी सोमवार रात करीब 9 बजे अचानक लापता हो गई। तलाश करने पर पीड़िता गांव से 200 मीटर दूर दक्षिण दिशा में मिली।

प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने बताया रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है।

किशोरी से दुष्कर्म, दोनों आरोपित गिरफ्तार

संवाद सूत्र, नहटौर : थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय किशोरी से दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता सोमवार देर शाम से लापता थी। वह कई घंटे बाद रात में गांव के बाहर नहर के पास बदहवास हालत में मिली। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि सोमवार शाम से 15 वर्षीय भतीजी घर से लापता थी। तलाश शुरू की तो सोमवार रात

करीब नौ बजे वह गांव के बाहर नहर के पास मिली। पता चला कि वे युवक उसे बहलाकर जंगल ले गए। खेत में दोनों ने दुष्कर्म किया। किशोरी के बताने पर गांव के पास से ही पुलिस ने दोनों आरोपितों को दबोच लिया। थाना प्रभारी पंकज तोमर ने बताया आरोपित शोकेन्द्र निवासी गांव धर्मनगरी शहर कोतवाली और बृजपाल निवासी चकगोवर्धन थाना नहटौर हैं। आरोपितों का चालान कर दिया गया।



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 19.02.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

दिनांक 16.12.2013 को अभियुक्तगण कोहर सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम पपसरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर आदि के विरुद्ध थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 570/13 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया । विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 19.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-VI बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 570/13 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त कोहर सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम पपसरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर को 02 वर्ष के कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

कोहर सिंह पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम पपसरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना नगीना

दिनांक 19.02.2024

**थाना नगीना पुलिस ने मु0अ0सं0 53/2024 धारा 323/324/308/452/504/506 भादवि में
वांछित तीन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 18.02.2024 को वादी श्री सत्यपाल सिंह पुत्र श्री कृपाल सिंह निवासी ग्राम हरगांव चन्दन थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.धर्मेन्द्र, 2.हरमेन्द्र, 3.हरजेन्द्र पुत्रगण ओमपाल व 4.केशव पुत्र धर्मेन्द्र निवासीगण ग्राम हरगांव चन्दन थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा वादी व वादी के परिजनो के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी- डण्डे आदि से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 53/2024 धारा 323/324/308/452/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के वांछित अभियुक्तगण 1.धर्मेन्द्रपाल, 2.हरमेन्द्रपाल व 3.हरजेन्द्रपाल पुत्रगण ओमपाल निवासीगण ग्राम हरगांव चन्दन थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

- 1.धर्मेन्द्रपाल पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम हरगांव चन्दन थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 2.हरमेन्द्रपाल पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम हरगांव चन्दन थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 3.हरजेन्द्रपाल पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम हरगांव चन्दन थाना नगीना जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह उज्ज्वल थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 2.उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 3.का0 1342 गौरव कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 4.का0 2519 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना को0 शहर

दिनांक 19.02.2024

थाना को0 शहर पुलिस ने अभियुक्त को 20.40 ग्राम स्मैक सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैद नशीले पदार्थों की बिक्री/परिवहन आदि में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 शहर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त फरमान पुत्र फरीद बाबा निवासी मौ0 मिर्दगान उर्फ खस्सो थाना को0 शहर जनपद बिजनौर को 20.40 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना को0 शहर पर मु0अ0सं0 146/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

फरमान पुत्र फरीद बाबा निवासी मौ0 मिर्दगान उर्फ खस्सो थाना को0 शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

20.40 ग्राम स्मैक ।

अभियुक्त फरमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 1021/2015 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 70/2018 धारा 147/148/149/307/332/336/353/395/427 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 3.मु0अ0सं0 71/2018 धारा 147/148/149/307/323/395/427/506 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 4.मु0अ0सं0 147/2019 धारा 8A(C)/21 NDPS एक्ट थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 5.मु0अ0सं0 857/2020 धारा 323/452/504 भादवि थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 6.मु0अ0सं0 264/2022 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।

- 7.मु0अ0सं0 645/2022 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 8.मु0अ0सं0 839/2022 धारा 498ए भादवि 3/4 डीपीएक्ट थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 9.मु0अ0सं0 32/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 10.मु0अ0सं0 146/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.हे0का0 697 रंजन राणा थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 1198 संदीप थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 4.का0 112 गौरव थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 5.म0का0 227 रेनू थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।
- 6.म0का0 764 रीना थाना को0 शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 19.02.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी साइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.02.2024 को वादी श्री प्रशान्त कुमार पुत्र श्री गुड्डु सिंह निवासी ग्राम थुरैला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 17.02.2024 को अज्ञात चोर द्वारा वादी की साइकिल NOVA (रंग काला) चोरी कर ली है। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 86/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त कपिल पुत्र छोटे लाल निवासी ग्राम हलुपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।



कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओं में संलग्न अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.02.2024 को अभियुक्त कपिल पुत्र छोटे लाल निवासी ग्राम हलुपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कपिल पुत्र छोटे लाल निवासी ग्राम हलुपुरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

एक साइकिल

अभियुक्त कपिल का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 255/19 धारा 323/504 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 86/24 धारा 379/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. कां0 1872 हेमन्त चौधरी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. कां0 1905 जगदीश तोमर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 19.02.2024

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.02.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों 1- भूप सिंह पुत्र हुलसी 2- लवकुश पुत्र भूप सिंह निवासी गण ग्राम हाजीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. भूप सिंह पुत्र हुलसी निवासी ग्राम हाजीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. लवकुश पुत्र भूप सिंह निवासी ग्राम हाजीपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० श्री यशपाल सिंह चावडा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी 678 सतीश थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक 19-02-2024

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 09/24 धारा 398/401/307 भादवि से संबंधित हिस्ट्रीशीटर शातिर अभियुक्त को पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) पर लेकर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बरामद किया गया ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा थाना नगीना देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/24 धारा 398/401/307 भादवि में वांछित अभियुक्त वाहिद उर्फ टल्ली पुत्र अब्दुल वहाब निवासी मौ0 कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर उपरोक्त के आत्मसमर्पण न्यायालय होकर जेल जाने पर थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर मुकदमा उपरोक्त की घटना में पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से की गयी फायरिंग में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस, एक खोखा कारतूस 315 बरामद किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में अवैध तमंचे की बरामदगी के आधार पर धारा 3/25 व 5/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । अभियुक्त वाहिद उर्फ टल्ली थाना नगीना का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

1. वाहिद उर्फ टल्ली पुत्र अब्दुल वहाब निवासी मौ0 कलालान कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

1- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 216/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 131/16 धारा 379/411 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0 142/16 धारा 379/411 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0 469/16 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना नगीना बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0 340/16 धारा 307/379/511/34 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
6. मु0अ0सं0 230/18 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
7. मु0अ0सं0 448/11 धारा 379/411 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
8. मु0अ0सं0 426/17 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
9. मु0अ0सं0 211/17 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
10. मु0अ0सं0 311/18 धारा 323/506 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
11. मु0अ0सं0 160/19 धारा 392/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
12. मु0अ0सं0 358/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
13. मु0अ0सं0 129/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
14. मु0अ0सं0 164/20 धारा 307 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
15. मु0अ0सं0 165/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
16. मु0अ0सं0 169/20 धारा 21/22 एनडीपीएसएस एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
17. मु0अ0सं0 317/20 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
18. मु0अ0सं0 89/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
19. मु0अ0सं0 136/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
20. मु0अ0सं0 173/20 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
21. मु0अ0सं0 9/24 धारा 398/401/307 भादवि थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.मुख्य आरक्षी 737 सुभाषचन्द थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 3.आरक्षी 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक 19.02.2024

“ऑपरेशन स्माईल” अभियान के तहत थाना नहतौर पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिक बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 13.02.2024 को वादी ने उसके पुत्र उम्र 13 वर्ष के बिना बताये कहीं चले जाने तथा खोजबीन के बाद भी कोई पता न चलने के संबंध में थाना नहतौर जनपद बिजनौर पर तहरीर दी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अं0सं0 51/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। गुमशुदा बच्चे की सकुशल बरामदगी हेतु टीम गठित की गयी।

कार्यवाही:-

जनपद में अपहृत / गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन स्माईल” के क्रम में थाना नहतौर पर गठित पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बच्चे को सकुशल बरामद किया गया तथा विधिक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त परिजनों को सुपुर्द किया गया।

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.व0उ0नि0 श्री कुलजीत सिंह थाना नहतौर जनपद बिजनौर।
- 2.हे0का0 789 संदीप कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात दिनांक – 19-02-2024

**थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 51/24 धारा 307/504 भादवि से सम्बन्धित
बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.02.2024 को वादी श्री जाकिर पुत्र फारुख निवासी ग्राम समसपुर नसीब थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि दिनांक 18.02.2024 को बाल अपचारी व 02 अन्य अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र के साथ गाली – गलौच करते हुए जान से मारने की नीयत से चेहरे व गर्दन पर ब्लेड से वार किये, जिससे वादी का पुत्र घायल हो गया । तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 51/24 धारा 307/504 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.02.2024 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 51/24 धारा 307/504 भादवि से सम्बन्धित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का नाम व पता –

बाल अपचारी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 मनोज कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 2.कां0 978 जितेन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर